

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०- से

जिला - गिरिडीह, अंचल - धनवार, विविध वाद सं०- 55/सन-2024- 25

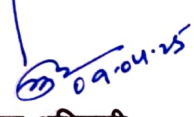
केस का प्रकार - विविध वाद

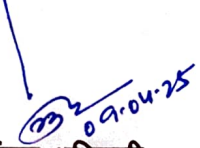
आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
09.04.2025	-:आदेश: - यह विविध वाद अभिलेख सं०- 55/2024- 25 आवेदिका सुदामा देवी, पति- हरि रविदास, साकिन- सिंगारडीह, थाना- परसना ओ० पी०, धनवार, जिला- गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०- 10, श्री कंचन कुमार के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि ग्राम- सिंगारडीह थाना नं०- 287 के अन्दर प्लॉट नं०- 522, रकवा- 10 डी० से संबंधित है। प्लॉट नं०- 522, रकवा- 10 डी० भूमि के संबंध में उपस्थित ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि आवेदिका सुदामा देवी, पति - हरि रविदास का मकान कई वर्ष पुराना है एवं इस मकान में सुदामा देवी सपरिवार निवास करते आ रही है। प्रथम दृष्ट्या में पाया गया कि सुदामा देवी जिस मकान में निवास करती है, वह कई साल पुराना मिट्टी का मकान बना हुआ है। आगे उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि सुदामा देवी द्वारा प्रस्तुत कागजात का राजस्व अभिलेखों से मिलान किया। उक्त भूमि सुदामा देवी के पति हरि रविदास को प्लॉट नं०- 522 में 10 डी० भूमि वासगीत पर्चा द्वारा प्राप्त है। सर्वे खतियान के अनुसार आवेदित भूमि ग्राम सिंगारडीह थाना नं०- 287 खाता सं०- 29, प्लॉट नं०- 522, रकवा- 0.15 एकड़ भूमि बकास्त खाते की है। आवेदिका के पति हरि रविदास को प्लॉट नं०- 522 में रकवा- 0.15 एकड़ के मध्ये 0.10 एकड़ भूमि वासगीत पर्चा केश नं०- 6/91 - 92 द्वारा प्राप्त है। जिसकी जमाबंदी भौतिक पंजी- ॥ के पृष्ठ सं०- 170 भो०- ॥ पर कायम है। पुनः प्रतिवेदित करते हैं कि हरि रविदास को मिली पर्चा में खाता सं०- 40 अंकित है, जो गलत है। सही खाता सं०- 29 होना चाहिए। अतः खाता सं०- 40 के स्थान पर सुधार करते हुए सही खाता सं०- 29 अंकित करने की अनुशंसा की जाती है। जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आलोक में हरि रविदास का भूमि वासगीत पर्चा केश नं०- 6/91 - 92 में खाता सं०- 40 के स्थान पर सुधार कर खाता सं०- 29 दर्ज करने तथा तदनुसार मौजा- सिंगारडीह/287 के ऑनलाईन पंजी- ॥ के भाग सं०- 02, पृष्ठ सं०- 170 पर कायम जमाबंदी में खाता सं०- 40 के स्थान पर खाता सं०- 29 सुधार करने के निमित्त आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। जाँच प्रतिवेदन, उपलब्ध राजस्व अभिलेख तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में श्री हरि रविदास का भूमि वासगीत पर्चा केश नं०- 6/91 - 92 में खाता सं०- 40 के स्थान पर सुधार कर खाता सं०- 29 दर्ज करने तथा तदनुसार मौजा-	

सिंगारडीह/287 के ऑनलाईन पंजी- II के भाग सं०- 02, पृष्ठ सं०- 170 पर कायम जमाबंदी में खाता सं०- 40 के स्थान पर खाता सं०- 29 सुधार करने का आदेश दिया जाता है।

संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 10 एवं अंचल निरीक्षक, धनवार को उपरोक्त आदेश का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
धनवार।


अंचल अधिकारी,
धनवार।